संख्या-145/2016/1893/71-1-2016-जी-237/2016

प्रेषक,

कुमुदलता श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 21 जुलाई, 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में राजकीय मेडिकल कालेजों में बायोमेडिकल बेस्ट डिस्पोजल हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2016-17/172, दिनॉक 09-06-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेजों में बायोमेडिकल बेस्ट डिस्पोजल हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 1,00,00,000/- (रू0 एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने स्वीकृति महामहिम राज्यपाल सहर्ष् प्रदान करते हैा

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- उक्त मद की धनराशि मेडिकल कालेजों से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण करते हुए औचित्य स्थापित होने पर ही आवंटित/स्वीकृत की जाएगी। साथ ही उक्त मद की धनराशि उन्हीं मेडिकल कालेजों को आवंटित/स्वीकृत की जाएगी, जिनके द्वारा गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

4- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत-05-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-03-शिक्षा-15-राजकीय मेडिकल कालेजों में बायोमेडिकल बेस्ट डिस्पोजल-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनॉक 22 मार्च, 2016 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीया

(कुमुदलता श्रीवास्तव)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विशेष सचिव

संख्या:-145/2016/1893(1)/71-1-2016 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, गोरखपुर, झाँसी, आगरा तथा इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ, जालौन, कन्नौज, आजमगढ़, सहारनपुर, अम्बेडकर नगर, बाँदा।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, गोरखपुर, झाँसी, आगरा तथा इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ, जालौन, कन्नौज, आजमगढ़, सहारनपुर, अम्बेडकर नगर, बाँदा।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर, झाँसी, आगरा तथा इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ, जालौन, कन्नौज, आजमगढ़, सहारनपुर, अम्बेडकर नगर, बाँदा।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
7- नियोजन अनुभाग-4/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।